न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 19/2018

अपीलांट– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स–**

वजाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट
निवासी मानाणियों की ढाणी, गोलिया
महेचान तहसील सिणधरी जिला
बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 316 दिनांक 15.12.2004 जो उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री दलाराम, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.10.2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम गोलिया महेचान के नामान्तरकरण सं. 316 पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 15.12.2004 के विरूद्ध दिनांक 22.11.2017 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गोलिया महेचान के खसरा नम्बर 188, 189 रकबा क्रमशः 170–12, 00–14 बीघा भूमि वेहनाराम, गंगाराम, रूपाराम पि0 चोलाराम, हीरों देवी बेवा चोलाराम, नारणा वल्द मोती जाति जाट साकिन देह खातेदारान के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदार नारणा के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 316 में मृतक नारणा के उत्तराधिकारी के रूप में वजाराम पुत्र चौलाराम का नाम अन्य खातेदारान के साथ दर्ज कर उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत किये जिसे दिनांक 15.12.2004 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने उप

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:29 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 22.11.2017 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा गोलिया महेचान के खसरा नम्बर 188 व 189 की भूमि अपीलांट के गोद पिता नारणा वल्द मोती के नाम सहखातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार नारणा के फोत होने पर उसके वारीस के रूप में अपीलांट का नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 316 हल्का पटवारी द्वारा दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण में अपीलांट वजाराम पुत्र चोलाराम गलत दर्ज किया गया क्योंकि अपीलांट को नारणा ने अपने जीवनकाल में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया था, जिस कारण अपीलांट अपने प्राकृतिक पिता को हमेशा के लिये छोड़कर अपने गोद पिता नारणा के साथ रहवास करने लगा तथा नारणा ने अपने जीवनकाल मे अपने हिस्से की भूमि का वसीयतनामा दिनांक 10.05.1999 निष्पादित कर दिया था। अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य के बारे में वारीसान की जांच एवं उन्हे नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट्स द्वारा अर्सा पूर्व जब हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी भूमि के लिये बैंक से के.सी.सी. लेने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उक्त अशुद्ध नाम दर्ज होने की जानकारी दी गई। इस पर अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण सं. 316 की नकल दिनांक [illegible] को प्राप्त होने पर यह अपील जानकारी होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया हैं जो विधि विरूद्ध होने से इसके विरूद्ध इस अपील के लिये मयाद बाधा नही हैं। इसके बावजूद भी विधि की आवश्यकता अनुसार धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया हैं। उपर्युक्त तथ्यों एवं आधार पर अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त करते हुए विवादित भूमि में अपीलांट्स के वास्तविक नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा गोलिया महेचान के खसरा नम्बर 188 व 189 की भूमि खातेदार नारणा वल्द मोती के नाम सहखातेदारी दर्ज थी। उक्त खातेदार के फोत होने पर दायर किये गये विरासत के नामान्तरकरण सं. 316 में मृतक नारणा के वारीसान में वजाराम पुत्र चोलाराम अंकित किया गया हैं। अपीलांट्स का कथन हैं कि अपीलांट नारणा पुत्र मोती का गोद पुत्र हैं तथा उसका का वास्तविक नाम वजाराम पुत्र नारणाराम हैं जो हल्का पटवारी एवं उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा बिना जांच एवं दस्तावेजों को देखे अपीलांट की वल्दियत प्राकृतिक पिता के नाम अपनी मनमर्जी से लिख दी गई हैं। अपीलांट के नाम जारी अन्य सभी दस्तावेजों में वल्दियत गोद पिता नारणा के नाम दर्ज हैं इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में उसकी अशुद्ध वल्दियत अंकित हो जाने से उन्हे सरकारी योजनाओं के लाभ लेने एवं अन्य प्रयोजनार्थ कठिनाई आ रही हैं। अपीलांट्स ने अपनी पहचान के दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता परिचय, वसीयतनाम इत्यादि प्रस्तुत किये, जिनके अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट स्व0 नारणा के वास्तविक वारीस एवं गोद पुत्र हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व वारीसान की जांच एवं अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं, जो त्रुटिपूर्ण होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। चुंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जिससे उन्हे उक्त नामान्तरकरण की तत्समय जानकारी नहीं होने का कथन सद्भाविक प्रतीत होता हैं [illegible] प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:29 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर उप

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौजा गोलिया महेचान के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 316 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक नारणा के वास्तविक वारीसान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:29 IST
Reason: SelfAttested